कार्यालयः—उपाधीक्षक जिला कारागृह हनुमानगढ

क्रमांकः—कारा/2020/11409 दिनांकः—21—10—2020

श्री ज्ञानेश कुमार,
S-1, Jharkhand Appartment,
Jharkhand Mode, Genral Sangat Singh Marg,
Khatipura, Ward No. 14, Jaipur Heritez, Jaipur.
Mo.9828346151

विषयः—सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 09200448685070 के संबध ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 29.08.2020 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित जिला कारागृह हनुमानगढ से संबधित खबर के संबध में तथ्यात्मक रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 8474—78 दिनांक 29.08.2020 को श्रीमान महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर को प्रेषित करते हुये इसकी प्रतिलिपि श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ व अन्य उच्च अधिकारीयों को प्रेषित की गई थी **(जिसकी छायाप्रति संलग्न है)** । महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर के पत्रांक घटनाऐं/पेपर कटिंग/2020/33514 दिनांक 31.08.2020 की अनुपालना में उक्त प्रकाशित खबर "शराब—कबाब का लुत्फ उठा रहे बंदी" के संबध में आवश्यक जांच श्रीमान अधीक्षक एवं मण्डलाधिकारी केन्द्रीय कारागृह बीकानेर के द्वारा की जा रही है। उक्त प्रकाशित खबर के संदर्भ में पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन में एफ.आई.आर संख्या 506/02.09.2020 अन्तर्गत धारा 42 प्रिजन एक्ट में दर्ज करवाई गई है।

अतः उक्त प्रकाशित खबर के संबध में आवश्यक एवं कानूनी जांच विभाग स्तर व पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन द्वारा नियमानुसार की जा रही है। अतः उक्त परिवाद निस्तारण योग्य है।

21/10

उपाधीक्षक
जिला कारागृह हनुमानगढ

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

।। कार्यालय उप अधीक्षक जिला कारागृह हनुमानगढ ।।

कमांक:– 8474-78 दिनांक:–29.08.2020

श्रीमान महानिदेशक एंव महानिरीक्षक,
कारागार राजस्थान जयपुर

विषय:– जिला कारागृह हनुमानगढ़ के संबंध में दिनांक 28.08.2020 को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियों व दिनांक 29.08.2020 को राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर की तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नम्र निवेदन है कि जिला कारागृह हनुमानगढ़ के संबंध में दिनांक 28.08.2020 को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियों दिनांक 29.08.2020 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित जेल की खबर के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार सादर प्रेषित है।

निवेदन है कि दिनांक 21.08.2020 को कारागृह के वार्ड संख्या–1 की बैरिक संख्या–1 व 2 में निरूद्ध बंदियों के मध्य आपसी कहासुनी में हुई मारपीट पर हरियाणा राज्य की सिरसा कारागृह में आजीवन कारावास से दण्डित बंदी राकेश उर्फ राका पुत्र केसराराम जाति नाई निवासी ऐलनाबाद (हरियाणा) जिला कारागृह हनुमानगढ़ के वार्ड संख्या–1 की बैरिक संख्या–2 में कारागृह में 20.04.2020 को पिस्टल बरामद होने के बाद से अन्य प्रकरण में विचाराधीन होने से निरूद्ध था जो उक्त मारपीट व झगड़े में शामिल था जिसके विरूद्ध पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में एफ.आई.आर. संख्या 476/21.08.20 दर्ज हुई है।

बंदी राकेश उर्फ राका पुत्र केसराराम का श्रीमान महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर के दूरमाषिक आदेश दिनांक 21.08.2020 द्वारा उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर पर स्थानान्तरण करने पर बंदी राकेश उर्फ राका को उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर भिजवाने हेतु मजबुत पुलिस गार्ड का मांग पत्र श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ व संचित निरीक्षक पुलिस लाईन हनुमानगढ़ को प्रेषित किया गया था दिनांक 22, 23, व 24.08.2020 को पुलिस गार्ड उपलब्ध नहीं हुई, जिससे बंदी राकेश को दिनांक 25.08.2020 को मजबुत पुलिस गार्ड मय वाहन के संरक्षण में उच्च सुरक्षा अजमेर भिजवाया गया था।

निवेदन है कि दिनांक 24.08.2020 को रात्रि 9.00 पी.एम. के लगभग मोबाईल नम्बर 9610964587 से कार्यवाहक उपाधीक्षक श्री योगेन्द्र सिंह उप कारापाल के मोबाईल पर कॉल आया जो अपने आप को के0पी0सोनी पत्रकार बता रहा था उसने कार्यवाहक उपाधीक्षक को कहा कि आप राकेश उर्फ राका को हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर मत भेजो, वरना मेरे पास जेल का वीडियो है जो मैं वायरल कर दूंगा इस पर श्री योगेन्द्र सिंह उप कारापाल ने कहा कि आप वीडियो भेजो उनको देखे बिना मैं कुछ नहीं कह सकता तथा अवगत करवाया कि किसी भी बंदी के स्थानान्तरण हेतु उच्चाधिकारी अधिकृत है मैं नहीं।

कार्यवाहक उपाधीक्षक श्री योगेन्द्र सिंह को इतना कहकर उसने दिनांक 24.08.2020 को ही उसी मोबाईल नम्बर 9610964587 से इस कारागृह के श्री सतवीर सिंह मुख्य प्रहरी को उनके मोबाईल पर समय रात्रि 09.09 पी.एम. पर कॉल कर कारागृह के मैनगेट के बाहर रोड़ पर वार्ता करने हेतु बुलाया (जिसकी ऑडियो सी0डी0 संलग्न है) तथा श्री सतवीर सिंह मुख्य प्रहरी को मौखिक कहा आप बंदी राकेश उर्फ राका को हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर मत भिजवाओ कल वो यहां के विचाराधीन प्रकरण में जमानत प्रस्तुत कर देगा, उसे सिरसा जेल भिजवा देना वरना मेरे पास जेल के वीडियो है जो मैं वायरल कर दूंगा ओर कहा कि मेरी योगेन्द्र सिंह जी जेलर से बात हो गई है वो पैसे देने में आनाकानी कर रहे है आप उनसे मुझे एक लाख रूपये दिलवा दो तो मैं वीडियो वायरल नहीं करूंगा।

के0पी0सोनी(खेतपाल सोनी) द्वारा जेल के वीडियों श्री सतवीर सिंह मुख्य प्रहरी को दिखाये जाने पर मुख्य प्रहरी ने कहा कि ये वीडियों तो काफी पुराने है आप इन वीडियों के किस बात के पैसे मांग रहे हो तो उसने मुख्य प्रहरी को कहा कि मुझे पैसे दिलवाओ नहीं तो मैं वीडियों वायरल कर दूंगा।

Scanned with CamScanner

निवेदन है कि बंदी राकेश उर्फ रांका पुत्र केसराराम कारागृह में दिनांक 20.04.2020 को पिस्टल बरामद होने तक कारागृह के सुरक्षा वार्ड में अन्य बंदी रामप्रताप उर्फ प्रताप पुत्र मनीराम जो आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने से दिनांक 21.08.2020 को केन्द्रीय कारागृह बीकानेर स्थानान्तरित हो गया, के साथ सैल संख्या–5 में निरूद्ध था ये वीडियों संभवतः उसके साथ पूर्व में सर्दी के मौसम में बनाया गया है तथा फोटो भी सुरक्षा वार्ड की सैल में पुराने लिये हुए है जिसमें बंदी राकेश व रामप्रताप उर्फ प्रताप की फोटो व वीडियों वायरल हो रहा है बंदी राकेश उर्फ रांका को कारागृह में दिनांक 20.04.2020 को पिस्टल बरामद होने के बाद दिनांक 24.04.2020 से वार्ड संख्या–1 की बैरिक संख्या–2 में शिफ्ट कर दिया गया था सुरक्षा वार्ड में निरूद्ध नहीं रहा है। (वार्ड संख्या–1 की बैरिक संख्या–2 में मई 2020 से अगस्त 2020 तक निरूद्ध बंदियों के रजिस्टर व ई–प्रिजनर्स पर बैरिक ट्रांसफर की छाया प्रति)

निवेदन है कि वीडियो वायरल करने वाला के0पी0सोनी (खेतपाल सोनी) जो अपने आप को पत्रकार बता रहा है जो जिला कारागृह हनुमानगढ़ में 29.12.2019 से 17.01.2020 तक न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ के प्र0स0 737/19 में अंतर्गत धारा 420, 406, 120 बी भा0द0स0 में न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है वर्तमान में जमानत पर है (विचाराधीन बंदी प्रवेश पंजिका की छाया प्रति संलग्न) बंदी राकेश उर्फ राका का स्थानान्तरण इस कारागृह से उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर किया जाने के कारण बंदी राकेश उर्फ राका व अन्य बंदियों से पूर्व से ही मिला हुआ था तथा कारागृह के सुरक्षा वार्ड में पूर्व के लिये हुए फोटो व बने हुए वीडियो दिखाकर प्रशासन पर दवाब बनाकर एक लाख रूपये की मांग श्री सतवीर सिंह मुख्य प्रहरी से कर कार्यवाहक उपाधीक्षक श्री योगेन्द्र सिंह से ब्लैकमेल कर लेना चाह रहा था वीडियो वायरल नहीं करने की एवज में एक लाख रूपये नहीं मिलने पर बौखलाहट में जिला कारागृह हनुमानगढ़ जो वर्तमान में पूर्णतः नशामुक्त हो जाने से ये पूर्व में लिये गये फोटो व पुराना वीडियों वायरल किये गये है।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 29.09.2020 को दैनिक भास्कर में छपी खबर कि " हत्या के आरोप में बंद निर्देश विश्नोई की कलेक्टर को लिखित शिकायत, आरोप–जेल कर्मी कर रहे अत्याचार " के संबंध में निवेदन है कि दिनांक 10.08.20 को आर0ए0सी0 जवान द्वारा जेल के बाहरी ओर से सामान फेंकने के प्रयास में पकड़े व्यक्ति की निशानदेही पर बैरिक संख्या–2 की तलाशी में बंदी निर्देश विश्नोई से मोबाइल बरामद होने पर पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में एफ.आई.आर. संख्या–442/10.08.2020 दर्ज हुई है तथा दिनांक 21.08.2020 को कारागृह के वार्ड संख्या–1 में हुए झगड़े व बंदियों के साथ की गई मारपीट में भी बंदी राकेश उर्फ राका व निर्देश विश्नोई शामिल है जो एक ही बैरिक में निरूद्ध थे जिसकी भी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में एफ.आई.आर. संख्या 476/21.08.20 दर्ज हुई है। विचाराधीन बंदी निर्देश विश्नोई ने झगड़ा व मारपीट करने एंव मोबाईल बरामद होने के कारण उसका स्थानान्तरण बंदी राकेश उर्फ राका की तरह अन्यत्र कारागृह पर ना हो जावें इसी आशंका के कारण जेल प्रशासन पर दवाब बनाने हेतु झुठी व निराधार शिकायत कर रहा है यदि बंदी निर्देश विश्नोई या अन्य बंदियों के साथ कारागृह में किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो निःसन्देह उक्त बंदी व अन्य बंदीगण दिनांक 21.08.2020 को श्रीमान सैशन न्यायाधीश हनुमानगढ़ व श्रीमान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ को दौराने कारागृह निरीक्षण में लिखित में या मौखिक शिकायत द्वारा अवगत करवा सकते थे किन्तु जेल कर्मियों द्वारा बंदियों पर अत्याचार किया जा रहा है कि मनगढ़त व झुठी शिकायत होने से बंदी निर्देश विश्नोई ने दौराने निरीक्षण उच्चाधिकारियों को शिकायत नहीं की है मात्र कारागृह में बंदी राकेश उर्फ राका के साथ मिलकर उसके द्वारा की गई अनुशासनहीनता व उद्दण्डता के कारण अन्यत्र कारागृह में स्थानान्तरण नहीं कर दिया जावे की आशंका के चलते मनगढ़त शिकायत की है।

तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

29/08/20

उपाधीक्षक

जिला कारागृह हनुमानगढ़

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़।
02. श्रीमान उप महानिरीक्षक कारागार रेन्ज, जोधपुर।
03. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़।
04. श्रीमान मण्डलाधिकारी एंव अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह बीकानेर।

उपाधीक्षक

जिला कारागृह हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner